न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 27/2005(जी.सी.एम.एस. 2005/00004

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. परमपाल सिंह पुत्र कुण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर 2. रघुवीर सिंह पुत्र साधू सिंह जाति जटसिख निवासी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. कपूर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी गुलाबेवाला 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. पंजाब कौर पत्नी कपूर सिंह जाति बावरी निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. महेन्द्र सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति बावरी निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर। 1/3. जोगेन्द्र सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति बावरी निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर। 2. नग्गा सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी गुलाबेवाला 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. जय सिंह इन्द्र सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी गुलाबेवाला 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 4. प्रताप कौर पुत्री इन्द्र सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 5. भागो पुत्री इन्द्र सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 6. मानिया पुत्री इन्द्र सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 7. रजिबाई पुत्री इन्द्र सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 8. दुधो पुत्री इन्द्र सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 9. मुखत्यार कौर पत्नी कृष्ण सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 10. महेन्द्र सिंह पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 11. सुखराम पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 12. कश्मीर कौर पुत्री कृष्ण सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 13. माया देवी पुत्री कृष्ण सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 14. शान्ति देवी पुत्री कृष्ण सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 15. रजिदेवी पुत्री कृष्ण सिंह जाति बावरी(चौहान) निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर 17. अवतार सिंह पुत्र नायब सिंह सरपंच भूतपूर्व ग्राम पंचातय 52 जीजी गुलाबेवाला।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 12.05.2005

उपस्थितः 1. श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता वादीगण

2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 6 ता 11

--निर्णय-- दिनांक :30.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि चक 49 जी जी ए की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के खाता संख्या 2/2 में मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पिता व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

9 के ससुर तथा 10 ता 15 के दादा इन्द्र सिंह पुत्र देवीदिता के नाम बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि इन्द्र सिंह ने दिनांक 17.07.1962 को अपनी खातेदारी भूमि मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, किला नम्बर 15 व 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 17 ता 24 सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 51/11 के 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर जरिए पंजीकृत बैयनामा सब रजिस्ट्रार श्रीकरणपुर, बेचान करके कब्जा मौका पर संभला दिया था। उक्त भूमि पर 1962 से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। पानी की पर्ची भी वादी संख्या 1 के नाम से सिंचाई विभाग से बन्धी हुई है। इन्द्र सिंह फौत हो चुका है। पूर्व सरपंच ने इन्द्र सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 के साथ साजबाज होकर इन्द्र सिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि का इन्तकाल बिना किसी आधार व जांच के उनके नाम इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.05.2005 को दर्ज कर दिया। विक्रय शुदा इन्द्रसिंह की भूमि का इन्तकाल प्रतिवादीगण के नाम गलत एंव विधि विरूद्ध किया गया है। जो निम्न आधारो पर खारिज किये जाने योग्य है:-

(a)इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 को बिना जांच किये बिना कब्जा रिपोर्ट के दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध है। जब तक मुताबिक लैण्ड रेवन्यू एक्ट के बिना कब्जा की जांच के इन्तकाल दर्ज नहीं हो सकता। इस कारण इन्तकाल संख्या 80 खारिज किये जाने योग्य हैं।

(b)अवतार सिंह पुर्व सरंपच 52 जीजी प्रतिवादी संख्या 17 को भली-भांति ज्ञान था कि विवादित भूमि चक 49 जीजीए के मुरब्बा नम्बर 19 के 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान प्रतिवादीगण के पिता इन्द्र सिंह ने वादीगण को पूर्व में ही कर दिया था।

(c)इन्द्र सिंह की जाति बावरी चौहान थी जो अनुसूचित जाति की तारीफ में उस समय नहीं आती थी। जब उसने भूमि का बेचान किया था। इस कारण यह बेचान विधि अनुसार सही था। जिसका इन्तकाल इन्द्र सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता।

(d)बावरी जाति अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं थी। उस बाद में तरमीम करके बावरी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। इस कारण भी बैयनामा वैध है। इन्तकाल संख्या 80 दर्ज किए जाने योग्य नहीं है।

(e)अनुसूचित जाति का कानून 1964 से लागू हुआ है। जबकि बैयनामा 1962 का है। इस कारण भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किया गया बेचान वैध है। इस कारण बेचान की गई भूमि का इन्तकाल प्रतिवादीगण के नाम किया दर्ज किया गया। जो निरस्त किया जाना उचित है।

(f)वादीगण का कब्जा लगातार 1962 से आज तक शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। जिसे 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वादीगण का कब्जा मुखालतन(एडवर्स पोजिशन) हो चुका है। जिससे वादीगण खातेदार हो चुके है।

(g)वादीगण का कब्जा वर्ष 1962 से विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक चला आ रहा है। भूमि खरीदशुदा है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रतिवादीगण विवादित भूमि में अपने अधिकार खो चुके है। इस कारण भी वादीगण भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है।

विवादित भूमि का इन्तकाल प्रतिवादीगण के हक में होने का इल्म कल दिनांक 11.05.2005 को हुआ तभी इन्तकाल की सत्य प्रति लेकर दावा आज अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। विवादित इन्तकाल का इल्म होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को खरीदशुदा भूमि इन्तकाल प्रतिवादीगण के नाम से निरस्त करवाकर वादीगण के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। इन्तकाल दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 सरेआम यह कह रहे है कि वह तो भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करेगे। अगर उन द्वारा भूमि पर जबरदस्ती भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति की जाना असम्भव है। अतः दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए पेश करके निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:-कि चक चक 49 जी जी ए की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के खाता संख्या 2/2 में मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, किला नम्बर 15 व 16

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्री करणपुर

प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 17 ता 24 सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 51/11 के 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर भूमि का लगान वादीगण के नाम कायम किया जावे। व ग्राम पंचायत 52 जीजी का इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 को निरस्त किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2058 के खाता संख्या 2/2 के खाना नम्बर 11-12 में इन्तकाल का नोट हटाया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 6 ता 10, 17 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह बीमा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 17 एक बार न्यायालय में उपस्थित आए, इसके बाद बावजूद इतला के पेश नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 11 सुखराम की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह बीमा ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत किया। नकल प्रार्थना पत्र वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पर कोई एतराज जाहिर नहीं किया। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इनके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 01.05.2006 को निरस्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 की तामील जरिए अखबार प्रकाशन से करवाई गई। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 की ओर से जवाबदावा मय अतिरिक्त कथन पेश किए। जवाबदावा के अनुसार मृतक इन्द्र सिंह ने दिनांक 17.07.1962 को अपनी इच्छा से व किसी भी पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए दावा में दर्ज विवादित भूमि का तथाकथित बैयनामा वादीगण के हक में नहीं करवाया था। मृतक इन्द्र सिंह एक अनपढ व भोला भाला आदमी था। उसे गुमराह करके तथाकथित बैयनामा दिनांक 17.07.1962 पंजीकृत करवाया था। उक्त बैयनामा खिलाफ कानून है और प्रारम्भ से ही अवैध है और जो पानी की पर्ची वादीगण के नाम से बंधी हुई है। वह भी खिलाफ कानून बंधी हुई है। जिसका प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कोई असर नहीं पडता है। वादीगण का सन 1962 से विवादित भूमि पर शांन्तिपूर्वक कब्जा नहीं चला आ रहा है। वादीगण का विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को कई मरतवा कब्जा छोडने के लिए कहा। परन्तु वादीगण ने प्रतिवादीगण की कभी नहीं मानी प्रतिवादीगण ने कई बार कानूनी कार्यवाही भी करनी चाही परन्तु वादीगण पैसे वाले व राजनीतिक पहुच वाले प्रभावी व्यक्ति होने के कारण प्रतिवादीगण की कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्द्र सिंह की मृत्यू के बाद इन्द्र सिंह के वारिसान के नाम उक्त विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 सही व मुताबिक कानून दर्ज हुआ है। जिसके आधार पर विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज हुई है। जो काबिले खारिज योग्य नहीं है। अगर तथाकथित बैयनामा दिनांक 17.07.1962 कानूनन सही था तो उक्त बैयनामा के आधार पर वादीगण को विवादित भूमि अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवानी चाहिए थी। परन्तु वादीगण ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि इन्हे मालूम था कि मुताबिक कानून बैयनामा में दर्ज भूमि का इन्तकाल उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकता है। वादीगण का दावा में दर्ज विवादित भूमि पर कब्जा बतौर अतिक्रमी है। जो खिलाफ कानून है। इसलिए वादीगण को एडवर्स पोजेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। क्योंकि मुताबिक कानून किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति का व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता अगर ऐसा कब्जा है तो प्रथम दृष्टया खिलाफ कानून है, और काबिले दुदखली है, और ना ही अनुसूचित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की खातेदारी भूमि की खातेदारी किसी स्वर्ण जाति की श्रेणी के व्यक्ति को दी जा सकती है। इसलिए वादीगण दावा में दर्ज विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उनका दावा काबिले खारिज है। अतिरिक्त कथन के अनुसार तथाकथित बैयनामा दिनांक 17.07.1962 को पंजीकृत करवाया गया है। उस दिन वादी परमपाल सिंह की आयु मात्र 12 वर्ष तथा वादी रघुवीर सिंह की आयु मात्र 7 वर्ष थी। यानि जिस दिन बैयनामा पंजीकृत हुआ उस दिन दोनो वादीगण अवयस्क थे। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत किसी अवयस्क से किसी तरह की संविदा नहीं की जा सकती। अगर ऐसी कोई संविदा की जाती है तो वह प्रारम्भ में ही शून्य होती है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

तथाकथित बैयनामा दिनांक 17.07.1962 प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसका प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कोई असर नहीं है। ना ही ऐसे तथाकथित बैयनामा के आधार पर वादीगण को कोई हक हासिल होते है। इसलिए वादीगण का वाद काबिले खारिज है। उक्त वाद से यह भली भांति स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति श्रेणी के खातेदारों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है जो कि विधि विरूद्ध है। इस तरह के विवाद सुनने का अधिकार केवल तहसीलदार के न्यायालय को है। श्रीमान् जी के न्यायालय को नहीं है। इसलिए वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार और श्रवणाधिकार के अभाव में काबिले खारिजी है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि वाद वादीगण मय खर्चा खारिज करके विवादित आराजी का कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे। वादीगण की ओर से जवाब उल जवाब पेश किया। जवाब उल जवाब के अनुसार विवादित भूमि खातेदार इन्द्र सिंह के नाम थी। जो उस द्वारा वादीगण को दिनांक 17.07.1962 को जरिए पंजीकृत बैयनामा बैय कर दी थी। तभी से वादीगण का इस भूमि पर कब्जा बतौर अधिकार स्वरूप शांतिपूर्वक चला आ रहा है। आज भी कब्जा वादीगण का है। वादीगण भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। जिस समय भूमि का बेचान किया गया था तब अनुसूचित जाति द्वारा स्वर्ण जाति को बेचान करने पर किसी तरह का कानून लागू नहीं हुआ था। यह कानून सन 1964 से लागू हुआ था ना ही उसके Retrospective effect थे। वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण अगर भूमि खरीदते वक्त नाबालिग थे। तो ऐसा कानून नहीं कि नाबालिग व्यक्ति भूमि या जायदाद खरीद नहीं सकता, यह है कि नाबालिग व्यक्ति भूमि को विक्रय नही कर सकता। भारतीय संविदा अधिनियम में भी उक्त व्यवस्था दी है। इस कारण संविदा प्रारम्भ से शून्य नहीं होती। वादीगण को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने अधिकारों की घोषणा करवा कर भूमि अपने नाम दर्ज करवावे। यह कहना गलत है कि वाद तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा ही सुना जा सकता है और वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का न हो। अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि दावा स्वीकार किए जाने की डिक्री फरमाई जावे। पैराकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा इन्द्र सिंह वल्द देवीदिता सिंह कौम चौहान बावरी सिख सा. 49 जीजीए तहसील श्रीकरणपुर से चक 49 जीजीए की विवादित भूमि अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति के व्यक्तियों ने क्रय की है। इसलिए नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। इन्द्र सिंह के फौत होने पर सरपंच द्वारा इन्द्र सिंह वारिसान के नाम विरास्तन का नामान्तरण सरंपच ग्राम पंचायत ने तस्दीक किया है। वह सही है। क्योंकि विरास्तन के इन्तकाल में भूमि पर कब्जा का होना आवश्यक नहीं होता है। अगर बावरी जाति अनुसूचित जाति में नहीं थी। तो वादीगण को रजि. के बाद ही अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवा लेना चाहिए था। वादीगण ने कार्यवाही नहीं की। अतः नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा। हमने प्रकरण में निम्न विवाद्यक विरचित किए:-

(i)आया कि क्या चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, 15, 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 17 ता 24 सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 51/11 के 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे वादी-

(ii)आया इन्तकाल नम्बर 80 दिनांक 17.01.2005 का निरस्त करवाने व खाता संख्या 2/2 सम्वत 2058 के खाता खाना नम्बर 11-12 में इन्तकाल का नोट हटाने का अधिकारी है?

-जिम्मे वादी-

(iii)आया दिनांक 17.07.1962 को पंजीकृत बैयनामा शून्य व अवैध करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे प्रतिवादी-

(iv)आया भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति को बेचान की है?

-जिम्मे प्रतिवादी-

(v)अनुतोष।

(vi)आया वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है? -जिम्मे प्रतिवादी-

3. अधिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1ए चक 49 जीजीए की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के खाता संख्या 2/2 की प्रति, प्रदर्श-2ए असल पंजीकृत बैयनामा 17.07.1962, प्रदर्श-2ए1 छायाप्रति पंजीकृत बैयनामा 17.07.1962, प्रदर्श-3ए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

विरास्तन इन्तकाल संख्या 80 दिनाक 17.01.2005 की प्रति, प्रदर्श-4ए पानी की पर्ची जो परमपाल सिंह के नाम से है, की प्रति।, स्वंय वादी रघुवीर सिंह का साक्ष्य शपथपत्र पत्र पेश किए, जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वादी परमपाल सिंह की साक्ष्य जरिए मुखत्यारेआम गुरकिरत पेश करने बावत प्रार्थना पत्र आदेश 18 सीपीसी पेश किया। जो वाद सुनवाई खारिज किया गया। साक्ष्य वादीगण बन्द की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी बाद सुनवाई खारिज किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 कपूर सिंह(मृतक) के विधिक वारिसान की सूची व संशोधित शीर्षक पेश किया। मृतक कपूर सिंह के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। जवाब दावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण के द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

4. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी व वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Civil Apeal No- 401 of 1964, D/-23-09-1964. B. Basavalingappa, Appellant v. D.MUnichinnappa and others, Respondents, Parasram and another, Versus Shivchand And others, Civil Appeal No. 1869 of 1967, D/- 28-11-1968, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंच के न्यायिक दृष्टांत [D.B- Civil Special Appeal (Writ) No. 182 of 2000; decided on 28-04-2008 Madghu devi(Smt.) &Ors. Versus Board of Revenue For Rajasthan & Ors. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 211 गंगानगर/79, निर्णीत दिनांक 12.06.1981, मोहनलाल बनाम मघांराम, Heera Lal versus State of Raj. & ors. Appeal Nos. 6014, 6093/ Chittorgarh of 2003, decided on 07 March 2018, Sukhwantsingh & ors. Versus State of Raj. Appeal I.D. No. 4789/Sriganganagar of 04, decided on 2nd june, 2008. Ram kumar versus Patram Appeal No. 145/ganganagar of 74, decided on 4th june, 1979. State of Rajasthan Thro Tehsildar Sanganer, Jaipur versus Gajanand & Ors. Appeal/Decree/T.A./520/2022/jaipur; decided on 16-01-2014. Gurcharan Singh Versus Nathuram, Appeal No. 333/Sri ganganagar of 78, decided on 26th May, 1980 व प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त State of Raj. Versus Kesha& Ors. Appeal No. 166/Udaipur of 97, decided on 3rd September 2001 का ससम्मान अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भी भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया गया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1 : आया कि क्या चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, 15, 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 17 ता 24 सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 51/11 के 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे वादी-

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में चक 49 जीजी ए के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25, मुरब्बा नम्बर 51/10, 51/11 की कुल 6.322 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 प्रदर्श-1ए, चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, 15, 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 17 ता 24 सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 51/11 के 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि के पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.07.1962 प्रदर्श-2ए, चक 49 जीजीए के विरास्तन इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 प्रदर्श-3ए, विवादित भूमि की परमपाल सिंह के नाम की पानी की पर्ची प्रदर्श-4ए पेश की। साथ में वादी द्वारा साक्ष्यवादी के दौरान स्वय वादी रघुवीर सिंह का साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

शपथ पत्र, प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 49 जीजी ए के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25, मुरब्बा नम्बर 51/10, 51/11 की कुल 6.322 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि इन्दर सिंह वल्द देवीदिता सिंह कौम बावरी सा.देह खातेदार दर्ज थी, जो विरासतन इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 से प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम बहिरसा बराबर जमाबन्दी के खाना संख्या 11-12 में नोट में अंकित है। वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में कथन किए गए है कि उक्त वादग्रस्त भूमि हम वादीगण को इन्द्र सिंह ने दिनांक 17.07.1962 को जरिए पंजीकृत बैयनामा बेचान करके कब्जा मौका पर संभला दिया था। उक्त भूमि पर 1962 से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। पानी की पर्ची भी वादी संख्या 1 परमपाल सिंह के नाम से सिंचाई विभाग से बन्धी हुई है। इन्द्र सिंह के फौत होने के बाद पूर्व सरपंच ने इन्द्र सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 के साथ साजबाज होकर इन्द्र सिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि का इन्तकाल बिना किसी आधार व जांच के उनके नाम इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.05.2005 को दर्ज कर दी। विक्रय शुदा इन्द्रसिंह की भूमि का इन्तकाल प्रतिवादीगण के नाम गलत एंव विधि विरूद्व किया गया है। जो खारिज किया जाकर वादग्रस्त भूमि को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.07.1962 की रूह से वादीगण के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा में कथन किए गए है कि मृतक इन्द्र सिंह ने दिनांक 17.07.1962 को अपनी इच्छा से व किसी भी पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए दावा में दर्ज विवादित भूमि का तथाकथित बैयनामा वादीगण के हक में नहीं करवाया था। मृतक इन्द्र सिंह एक अनपढ व भोला भाला आदमी था। उसे गुमराह करके तथाकथित बैयनामा दिनांक 17.07.1962 पंजीकृत करवाया था। वादीगण का विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा है। उक्त बैयनामा खिलाफ कानून है और प्रारम्भ से ही अवैध है। क्योंकि मुताबिक कानून किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति का व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता अगर ऐसा कब्जा है तो प्रथम दृष्टया खिलाफ कानून है, और काबिले बुदखली है, और ना ही अनुसूचित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की खातेदारी भूमि की खातेदारी किसी स्वर्ण जाति की श्रेणी के व्यक्ति को दी जा सकती है। इसलिए वादीगण दावा में दर्ज विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण के द्वारा जवाब उल जवाब में कथन किए गए है कि विवादित भूमि खातेदार इन्द्र सिंह के नाम थी। जो उस द्वारा वादीगण को दिनांक 17.07.1962 को जरिए पंजीकृत बैयनामा बैय कर दी थी। तभी से वादीगण का इस भूमि पर कब्जा बतौर अधिकार स्वरूप शांतिपूर्वक चला आ रहा है। आज भी कब्जा वादीगण का है। वादीगण भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। जिस समय भूमि का बेचान किया गया था तब अनुसूचित जाति द्वारा स्वर्ण जाति को बेचान करने पर किसी तरह का कानून लागू नहीं हुआ था। यह कानून सन 1964 से लागू हुआ था। वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करवाने के अधिकारी नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण, जिसकी जाति जटसिख थी, के द्वारा उक्त भूमि इन्द्र सिंह पुत्र देवीदिता सिंह कौम बावरी निवासी 49 जीजीए कुरेशिया से दिनांक 17.07.1962 को जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की थी। इस बैयनामा को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं करवाया गया है। पानी की पर्ची भी क्रेतागण के नाम पर बंधी हुई है। कब्जाकाश्त भी क्रेतागण का है। THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 के मुताबिक बावरी जाति विक्रय अभिलेख की निष्पादित तिथि 17.07.1962 को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सामिल नहीं थी। THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976 के अनुसार बावरी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में 1976 को सामिल किया गया है। लिहाजा भारत सरकार व राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर बावरी जाति को वर्ष 1976 के बाद अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया है। बैयनामा दिनांक 17.07.1962 वैध है। जिसके आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि चक 49 जीजीए के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, 15, 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 17 ता 24 सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 51/11 के 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः वादीगण तनकी संख्या 1 को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण एंव विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तनकी संख्या 2 : आया इन्तकाल नम्बर 80 दिनांक 17.01.2005 का निरस्त करवाने व खाता संख्या 2/2 सम्वत 2058 के खाता खाना नम्बर 11-12 में इन्तकाल का नोट हटाने का अधिकारी है? -जिम्मे वादी-

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है। तथाकथित बैयनामा दिनांक 17.07.1962 से वादग्रस्त भूमि वादीगण की खरीदशुदा है। बेचानकर्ता इन्द्र सिंह के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 दर्ज हुआ है। क्योंकि बैयनामा दिनांक 17.07.1962 वैध था। विक्रय भूमि का विरासतन इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाना उचित है। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3: आया दिनांक 17.07.1962 को पंजीकृत बैयनामा शून्य व अवैध करवाने के अधिकारी है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किए गए है कि तथाकथित बैयनामा दिनांक 17.07.1962 को पंजीकृत करवाया गया है। उस दिन वादी परमपाल सिंह की आयु मात्र 12 वर्ष तथा वादी रघुवीर सिंह की आयु मात्र 7 वर्ष थी। यानि जिस दिन बैयनामा पंजीकृत हुआ उस दिन दोनो वादीगण अवयस्क थे। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत किसी अवयस्क से किसी तरह की संविदा नहीं की जा सकती। अगर ऐसी कोई संविदा की जाती है तो वह प्रारम्भ में ही शून्य होती है तथा मुताबिक कानून किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति का व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता अगर ऐसा कब्जा है तो प्रथम दृष्टया खिलाफ कानून है, और काबिले बुदखली है, और ना ही अनुसूचित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की खातेदारी भूमि की खातेदारी किसी स्वर्ण जाति की श्रेणी के व्यक्ति को दी जा सकती है। इसलिए तथाकथित बैयनामा दिनांक 17.07.1962 प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसका प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कोई असर नहीं है। ना ही ऐसे तथाकथित बैयनामा के आधार पर वादीगण को कोई हक हासिल होते है। जवाब उल जवाब में वादीगण के द्वारा कथन किए गए है कि वादीगण भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। जिस समय भूमि का बेचान किया गया था तब अनुसूचित जाति द्वारा स्वर्ण जाति को बेचान करने पर किसी तरह का कानून लागू नहीं हुआ था। यह कानून सन 1964 से लागू हुआ था ना ही उसके Retrospective effect थे। वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण अगर भूमि खरीदते वक्त नाबालिग थे। तो ऐसा कानून नहीं कि नाबालिग व्यक्ति भूमि या जायदाद खरीद नहीं सकता, यह है कि नाबालिग व्यक्ति भूमि को विक्रय नही कर सकता। भारतीय संविदा अधिनियम में भी उक्त व्यवस्था दी है। इस कारण संविदा प्रारम्भ से शून्य नहीं होती। वादीगण को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने अधिकारों की घोषणा करवा कर भूमि अपने नाम दर्ज करवावे।

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि तथाकथित पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.07.1962 को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया है। पंजीकृत बैयनामा को शून्य व अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। पूर्व में तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। इसमें वादग्रस्त भूमि का बैयनामा दिनांक 17.07.1962 को वैध मानकर वादीगण को खातेदार घोषित होने का हकदार माना गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4: आया भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति को बेचान की है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। वादीगण के द्वारा उक्त भूमि इन्द्र सिंह पुत्र देवीदिता सिंह कौम बावरी निवासी 49 जीजीए कुरेशिया से दिनांक 17.07.1962 को जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की थी, उस समय THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 में बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित नहीं थी। Bawaria जाति सामिल थी। Baori जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976 में सामिल किया गया है। लिहाजा प्रतिवादीगण उक्त तनकी में इस तथ्य को साबित करने में असफल रहे है कि विवादित भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हुआ है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 6: आया वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है?

-जिम्मे प्रतिवादी-

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा में अतिरिक्त कथन किए गए है कि उक्त वाद से यह भली भांति स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति श्रेणी के खातेदारों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है जो कि विधि विरूद्ध है। इस तरह के विवाद सुनने का अधिकार केवल तहसीलदार के न्यायालय को है। श्रीमान् जी के न्यायालय को नहीं है। इसलिए वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार और श्रवणाधिकार के अभाव में काबिले खारिजी है। वादीगण के द्वारा कथन किए गए है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण को दिनांक 17.07.1962 को जरिए पंजीकृत बैयनामा बैय कर दी थी। तभी से वादीगण का इस भूमि पर कब्जा बतौर अधिकार स्वरूप शांतिपूर्वक चला आ रहा है। आज भी कब्जा वादीगण का है। वादीगण भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। वादीगण वादग्रस्त भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.07.1962 की रूह से बतौर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए बाबत घोषणा पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद सुनने का अधिकार न्यायलय उपखण्ड अधिकारी राजस्व को है। वादीगण का वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

5.अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकीयात संख्या 1 ता 4, 6 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

5- अतः वादीगण के वादपत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, जवाब काउन्टर क्लेम जवाब स्टेट, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो व विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक से हम निम्नानुसार विवेचन करना उचित समझते है कि पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.07.1962 से चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान बावरी जाति के व्यक्ति द्वारा जटसिख जाति के व्यक्ति करवाया गया था। वर्तमान में बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 42 में उक्त बेचान प्रतिबंधित है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त Reference No. 4794/2004/LR/Jodhpur: State of Rajasthan etc. Versus Bhairaram etc. decided on 11 March 2013 में Legislative history of Section 42 के अनुसार " The Act" was enforced from 15.10.1955 and on that, Section transperred will exceed 90 acres of unirrigated or 30 acres of irrigated land. Explanation- IF such land is partly irrigated and partly unirrigated, one acre of irrigated land, shall, for calculating the area of land for the purpose of this Section, be deemed to be equivalent to three acres of unirrigated land. Thus, according to this Section, the restriction was confined to the transfreree who could not acquire land, by sale or gift, more than the limits placed in this Section" The Act" was for the first time amended by the Act no.27 of 1956 dated 22.09.1956, which received the assent of the President on 14.09.1956, In this Amendment Act, this Section was not touched. Section 42 was then amended by the Rajasthan Tenancy (Second) Amendment Act, 1956 (Act 28 of 1956) which also came into force on

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

22.09.1956 . By this Amendment Act, a proviso to Section 42 was added. The proviso added was as under: As on 22.09.1956 " Provided that no khatedar tenant being a member of Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall so transfer his rights in the whole or a part of his holding to any person who is not a member of a Schedeled Caste or a Schedeled Tribe." The provisions as now stand after Amendment Act No. 12 of 1964 effective from 01.05.1964 run as follows: "42. General Restrictions on sale, gift and beqest- The sale, gift or bequest by a khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if-

(a) deleted w.e.f. 11.11.1992
(b) Such sale, gift or bequest is by a member of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe;
(bb) Such sale, gift or bequest, notwithstanding anything contained in clause (b), if by member of Saharia Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the said Saharia Tribe.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 5 उपधारा 37(क) के अनुसार" अनुसूचित जाति" से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश,1950 के भाग 14 में विनिर्दिष्ट में से कोई भी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा इन जातियों या जनजातियों में से कोई भी सदस्य या उनमें के समूह अभिप्रेत है;

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 में अनुसूचित जाति की श्रेणी में Bawaria सम्मिलित थी, बावरी जाति सामिल नहीं थी। Baori जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976 में सम्मिलित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 211 गंगानगर/79, निर्णीत दिनांक 12.06.1981, मोहनलाल बनाम मघांराम में वर्णित किया गया है कि 1976 से पूर्व राजस्थान के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अजमेर जिले में बावरी को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया किन्तु अन्य जिलों में शामिल नहीं किया गया- क्र.स. 10 पर अन्य जिलों की सूची में बावरिया अनुसूचित जाति के सदस्य बताए गए किन्तु इसमें बावरी सम्मिलित नहीं है ऐसा नही कहा गया है न इस बात का कोई साक्ष्य है कि बावरी बावरिया एक ही जाति है-1969 सर्वोच्च न्यायालय 597 के अनुसार इस सूची के मुताबिक ही अनुसूचित जाति का निर्धारण करना है इसमें और कोई छानबीन करने का न्यायालय को अधिकार नहीं-रा.अपी.अधि. ने यह मानने में भूल की कि गंगानगर जिले में बावरी एंव बावरिया दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है-धारा 42 का कोई उल्लघंन नहीं जबकि विक्रयकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही सावित नहीं-राज्य सरकार धारा 175 में कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं-दावा खारिज किया गया। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत Heera Lal versus State of Raj. & ors. Appeal Nos. 6014, 6093/ Chittorgarh of 2003, decided on 07 March 2018, में वर्णित किया है कि न्यायिक दृष्टान्त 1969 ए.आई.आर. एससी पेज 697, 1981 आर.आर.टी. पेज 571 एंव 1984 आरआरडी पेज 380 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जाति की जो जातियां अधिसूचना में अंकित है, उसी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य माना जायेगा, अन्य जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य होना नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, तत्पश्चात प्रतिप्रेषित निर्णयों की अनुपालना में उभयपक्ष की मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्व किये जाने के उपरान्त तनकीवार निर्णय में चमारिया जाति को अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित नहीं होने से प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 42 का उल्लंघन नहीं होना मानते हुए वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एंव अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। माननीय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Parasram and another, Versus Shivchand And others, Civil Appeal No. 1869 of 1967, D/- 28-11-1968, में वर्णित किया गया है कि A person properly described as mochi in punjab does not fall within the caste of Chamars as included in Constitution(Scheduled Castes) Order 1950 and Constitution(Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951 (as amended in 1966)- Court cannot scrutinise the Gazeteers and glossaries for this purpose. उसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में बावरी व बावरिया जाति को एक जाति मानने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। चूंकि विवादित भूमि का बेचान 17.07.1962 को बावरी जाति के व्यक्ति से जटसिख जाति के व्यक्ति को हुआ है। उस समय THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 में बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सामिल नहीं थी। इससे यह साबित नहीं होता है कि वादगत भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति से गैरअनुसूचित जाति के व्यक्ति को हुआ है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज व वादीगण का वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 49 जीजी ए के विरासतन इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 को निरस्त किया जाकर चक 49 जीजीए, पटवार हल्का 52 जीजी(गुलाबेवाला), भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के खाता संख्या 2/2 में इन्द्र सिंह पुत्र देवीदिता कौम बावरी के नाम दर्ज कुल 6.322 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादीगण को जरिए बैयनामा दिनांक 17.07.1962 को खरीद की गई भूमि मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, किला नम्बर 15 व 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 17 ता 24 सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 51/11 के 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेंगे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्री करणपुर

श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) ★

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

परमपाल सिंह आदि बनाम कपूर सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए

मुकदमा नम्बर 27/2005

निर्णय दिनांक :- 30.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इर्नाफेसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण के वादपत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, जवाब काउन्टर क्लेम जवाब स्टेट, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो व विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक से हम निम्नानुसार विवेचन करना उचित समझते है कि पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.07.1962 से चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान बावरी जाति के व्यक्ति द्वारा जटसिख जाति के व्यक्ति करवाया गया था। वर्तमान में बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 42 में उक्त बेचान प्रतिबंधित है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त Reference No. 4794/2004/LR/Jodhpur: State of Rajasthan etc. Versus Bhairaram etc. decided on 11 March 2013 में Legislative history of Section 42 के अनुसार " The Act" was enforced from 15.10.1955 and on that, Section transperred will exceed 90 acres of unirrigated or 30 acres of irrigated land. Explanation- IF such land is partly irrigated and partly unirrigated, one acre of irrigated land, shall, for calculating the area of land for the purpose of this Section, be deemed to be equivalent to three acres of unirrigated land. Thus, according to this Section, the restriction was confined to the transfreree who could not acquire land, by sale or gift, more than the limits placed in this Section" The Act" was for the first time amended by the Act no.27 of 1956 dated 22.09.1956, which received the assent of the President on 14.09.1956, In this Amendment Act, this Section was not touched. Section 42 was then amended by the Rajasthan Tenancy (Second) Amendment Act, 1956 (Act 28 of 1956) which also came into force on 22.09.1956 . By this Amendment Act, a proviso to Section 42 was added. The proviso added was as under: As on 22.09.1956 " Provided that no khatedar tenant being a member of Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall so transfer his rights in the whole or a part of his holding to any person who is not a member of a Schedeled Caste or a Schedeled Tribe." The provisions as now stand after Amendment Act No. 12 of 1964 effective from 01.05.1964 run as follows: "42. General Restrictions on sale, gift and beqest- The sale, gift or bequest by a khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if-

(a) deleted w.e.f. 11.11.1992

(b) Such sale, gift or bequest is by a member of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe;

(bb) Such sale, gift or bequest, notwithstanding anything contained in clause (b), if by member of Saharia Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the said Saharia Tribe.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 5 उपधारा 37(क) के अनुसार'' अनुसूचित जाति'' से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश,1950 के भाग 14 में विनिर्दिष्ट में से कोई भी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा इन जातियों या जनजातियों में से कोई भी सदस्य या उनमें के समूह अभिप्रेत है;

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 में अनुसूचित जाति की श्रेणी में Bawaria सम्मिलित थी, बावरी जाति सामिल नहीं थी। Baori जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976 में सम्मिलित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 211 गंगानगर/79, निर्णीत दिनांक 12.06.1981, मोहनलाल बनाम मघाराम में वर्णित किया गया है कि 1976 में पूर्व राजस्थान के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अजमेर जिले में बावरी को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया किन्तु अन्य जिलों में शामिल नहीं किया गया- क.स. 10 पर अन्य जिलों की सूची में बावरिया अनुसूचित जाति के सदस्य बताए गए किन्तु इसमें बावरी सम्मिलित नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है न इस बात का कोई साक्ष्य है कि बावरी बावरिया एक ही जाति है-1969 सर्वोच्च न्यायालय 597 के अनुसार इस सूची के मुताबिक ही अनुसूचित जाति का निर्धारण करना है इसमें और कोई छानबीन करने का न्यायालय को अधिकार नहीं-रा.अपी.अधि. ने यह मानने में भूल की है गंगानगर जिले में बावरी एंव बावरिया दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है-धारा 42 का कोई उल्लंघन नहीं जबकि विक्रयकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही साबित नहीं-राज्य सरकार धारा 175 में कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं-दावा खारिज किया गया। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत Heera Lal versus State of Raj. & ors. Appeal Nos. 6014, 6093/ Chittorgarh of 2003, decided on 07 March 2018. में वर्णित किया है कि न्यायिक दृष्टान्त 1969 ए.आई.आर. एससी पेज 697, 1981 आर.आर.टी. पेज 571 एंव 1984 आरआरडी पेज 380 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जाति की जो जातियां अधिसूचना में अंकित है, उसी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य माना जायेगा, अन्य जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य होना नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, तत्पश्चात प्रतिप्रेषित निर्णयों की अनुपालना में उभयपक्ष की मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्व किये जाने के उपरान्त तनकीवार निर्णय में चमारिया जाति को अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित नहीं होने से प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 42 का उल्लंघन नहीं होना मानते हुए वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एंव अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Parasram and another. Versus Shivchand And others. Civil Appeal No. 1869 of 1967, D/- 28-11-1968, में वर्णित किया गया है कि A person properly described as mochi in punjab does not fall within the [illegible] of Chamars as included in Constitution(Scheduled Castes) Order 1950 and Constitution(Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951 (as amended in 1966)-Court cannot scrutinise the Gazeteers and glossaries for this purpose. उसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में बावरी व बावरिया जाति को एक जाति मानने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। [illegible] विवादित भूमि का बेचान 17.07.1962 को बावरी जाति के व्यक्ति से जटसिख जाति के [illegible] को हुआ है। उस समय THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 में बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सामिल नहीं थी। इससे यह साबित [illegible] होता है कि वादगत भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति से गैरअनुसूचित जाति के [illegible] को हुआ है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज [illegible] वादीगण का वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया [illegible] चक 49 जीजी ए के विरासतन इन्तकाल संख्या 80 दिनांक 17.01.2005 को निरस्त किया [illegible] चक 49 जीजीए, पटवार हल्का 52 जीजी(गुलाबेवाला), भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, जमाबन्दी [illegible] 2058 ता 61 के खाता संख्या 2/2 में इन्द्र सिंह पुत्र देवीदिता कौम बावरी के नाम दर्ज [illegible] 6.322 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादीगण को जरिए बैयनामा दिनांक [illegible].07.1962 को खरीद की गई भूमि मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला [illegible] 14 सालम, किला नम्बर 15 व 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 17 ता 24 सालम, [illegible] नम्बर 25 के 18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 51/11 के 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 12 [illegible] 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

किया जावे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेंगे। आज दिनांक 30.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुदवई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	04	00

क्रमांकः रीडर/2024/237 दिनांकः 30.05.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर